न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 75 / 2022

श्री करनसिंह पुत्र श्री बालमुकन्द, सी–6 रीको, बयाना जिला भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग,कलक्ट्रेट (ए.डी.एम. शहर) भरतपुर

..............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

———

आदेश **दिनांक 27.09.2022**

अपीलार्थी श्री करनसिंह पुत्र श्री बालमुकन्द, सी–6 रीको, बयाना जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए. डी.एम.शहर) भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 20–7–2022 से लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट (ए.डी.एम.शहर) भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी.एम.शहर) भरतपुर द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 22 / 487 दिनांक 22.9.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी.एम.शहर) भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी.एम.शहर) भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / न्याय / 2022 / 487 दिनांक 22.9.2022 शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में कथन किया है कि लोक सूचना अधिकारी ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

.......2

 अपील / आरटीआई / 75 / 2022
करनसिह बनाम प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी.एम. शहर) भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र पत्र क्रमांक/ न्याय/ 2022/487 दिनांक 22.9.2022 का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में जरिये रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 488 दिनांक 2.9.2022 से उनके पते पर सूचित कर दिया गया है। लोक सूचना अधिकारी ने इस सम्बन्ध में सूचना से सम्बन्धित डिस्पेच रजिस्टर की फोटो प्रति भी प्रेषित की है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को उसके द्वारा चाही गई सूचना के बावत उसे अवगत करा दिया गया है। अस्तु अपील खारिज की जाती है।

अपीलार्थी ने अपील के साथ शुल्क के 10/- रुपये का पोस्टल आर्डर सलंग्न किया है, चूँकि अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होने से प्राप्त पोस्टल को वापिस लोटाया जावे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्र की फोटो प्रति एवं पोस्टल तादाती 10/- रुपये सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट (ए.डी.एम.शहर) भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर